संख्या–13/XVI/10/5(123)/2005

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई,
देहरादून।

2. निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान
गोपेश्वर–चमोली।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 18 जनवरी,2010

विषय: उद्यान विभाग के अन्तर्गत औषधीय एवं सगन्ध पादप (जड़ी–बूटी) के संगठनात्मक स्वरूप (Structural Hierarchy) का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

सहकारिता विभाग के अधीन संचालित भेषज विकास योजना (सहकारी जड़ी–बूटी योजना) के उद्यान विभाग में हस्तान्तरण के फलस्वरूप योजना का संचालन भेषज विकास इकाई के रूप में किये जाने तथा इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नियंत्रण में रखे जाने का निर्णय शासनादेश संख्या–1760/XVI/06/5(123)/2005 दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 द्वारा लिया गया। निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर/अपर सचिव, जड़ी–बूटी इस इकाई के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किये गये।

2. जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर द्वारा राज्य में औषधीय एवं सगन्ध पादपों का शोध एवं विकास कार्य किये जाते हैं। भेषज विकास योजना के अन्तर्गत जड़ी–बूटी के कृषिकरण, विपणन एवं संग्रहण में सक्रिय योगदान को देखते हुए इस इकाई को उद्यान विभाग में सम्मिलित करते हुए अपर सचिव, उद्यान एवं जड़ी–बूटी को पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया।

3. राज्य में औषधीय पादपों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने, इसके संबंध में नीति बनाने तथा प्रदेश के विभिन्न संबंधित विभागों के मध्य समन्वय और उनके विकास तथा निरन्तर प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिये उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कार्यालय ज्ञाप संख्या–1270/418–IV–म.ग्रा.वि./2001 दिनांक 14 अगस्त, 2001 द्वारा की गयी। यह संस्था जड़ी–बूटी के क्षेत्र में शीर्ष क्रियान्वयन एजेन्सी है।

4. राज्य औषधीय पादप बोर्ड, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान तथा भेषज विकास इकाई द्वारा वर्तमान में औषधीय एवं सगन्ध पादपों के विकास के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, परन्तु इन सभी संस्थाओं के संगठनात्मक स्वरूप (Structural Hierarchy) का स्पष्ट निर्धारण न होने से प्रदेश में इन संस्थाओं के क्रिया–कलापों के समुचित एवं सार्थक

परिणाम दृष्टिगोचर नही हो रहे हैं जबकि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित भेषज विकास योजना में जड़ी–बूटी से संबधित पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होने के साथ–साथ जनपदीय भेषज संघों का जड़ी–बूटी के क्षेत्र मे वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुभव एवं कृषिकरण, विपणन तथा संग्रहण में सक्रिय योगदान होने के कारण जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को इन अनुभवों का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग से इस योजना को उद्यान विभाग में समाहित किया गया था।

5. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य औषधीय पादप बोर्ड को क्रियाशील एवं सुदृढ करने, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान तथा भेषज विकास इकाई एवं भेषज संघ के क्रिया–कलापों के प्रभावी नियंत्रण एवं जड़ी–बूटी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु औषधीय एवं सगन्ध पादप (जड़ी–बूटी) सेक्टर का निम्नवत् स्वरूप निर्धारित करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है:–

1. राज्य औषधीय पादप बोर्ड का कार्यालय देहरादून में स्थापित किया जायेगा, जो कि प्रदेश में औषधीय एवं सगन्ध पादप (जड़ी–बूटी) सेक्टर की शीर्ष संस्था होगी, जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दायित्व एवं कार्यो का निर्वहन अपर सचिव, जड़ी–बूटी/उद्यान विभाग के द्वारा पदेन रूप से सम्पादित किया जायेगा।
2. निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा भेषज विकास इकाई के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दायित्वो का भी निर्वहन किया जायेगा, जिससे जड़ी–बूटी क्षेत्र के विकास में भेषज विकास इकाई के कार्मिकों के अनुभव एवं क्षमता का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।
3. प्रदेश में औषधीय एवं सगन्ध पादप (जड़ी–बूटी) क्षेत्र के विकास की लघु एवं दीर्घ कालीन नीतियों तथा उद्देश्यों का निर्धारण राज्य औषधीय पादप बोर्ड के मार्ग निर्देशन एवं अनुमोदन से किया जायेगा। राज्य औषधीय पादप बोर्ड के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान तथा सगन्ध पादप केन्द्र, सेलाकुई द्वारा राज्य औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य किया जायेगा।
4. निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान ही भेषज संघों का निबंधक भी होगा।
5. जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के अधीन स्थापित सगन्ध पादप केन्द्र, सेलाकुई को सुदृढ करते हुए स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में केन्द्र के संचालन से संबंधित सभी संभावित पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्या–13(1)/XVI/10/5(123)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, व्यापार कर, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड ।
9. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषि निर्यात विकास इकाई, देहरादून।
11. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चौबटिया।
12. निदेशक, रेशम विकास, प्रेमनगर, देहरादून।
13. निदेशक, घाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
14. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. निदेशक, कृषि, देहरादून।
16. निबन्धक, सहकारिता, उत्तराखण्ड।
17. प्रभारी वैज्ञानिक, सगन्ध पादप केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून।
18. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
19. निजी सचिव, मा0 उद्यान मंत्री को मा0 उद्यान मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर सचिव।